3. छायाप्रति मतदाता पहचान पत्र चतुर्भुज पुत्र रामनाथ
4. छायाप्रति आधार कार्ड चतुर्भुज पुत्र रामनाथ
5. छायाप्रति राशन कार्ड चतुर्भुज पुत्र रामनाथ
6. तस्दीक प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत लाखसनीजा दिनांक 27.06.2019
7. शपथ पत्र चतुर्भुज आत्मज रामनाथ जाति मीना निवासी कोटडापुरा तहसील दीगोद जिला कोटा

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी हेतु सम्मन् जारी किये गये। प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ, जिसमें कथन किये कि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की छायाप्रतियों के अनुसार चतुर्भुज पुत्र रामनाथ जाहिर होता है। ग्राम पंचायत लाखसनीजा द्वारा जारी प्रमाण पत्र में सही नाम रामनाथ बताया गया है। वादी की भूमि ख0नं0 36, 41, 43 ग्राम कोटडापुरा में दर्ज सहखातेदाान के बयान लिये जाकर वादी के कथनों की पुष्टि किया जाना अपेक्षित है।

हमनें उभय पक्ष को अपने–अपने साक्ष्य सहादत आदि प्रस्तुत करने के पर्याप्त एवं युक्तियुक्त अवसर दिये तथा बाद साक्ष्य हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कादि पर विचार किया। बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया। विवादित आराजी वाके ग्राम कोटडापुरा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 39 रकबा 0.85 हे0, ख0नं0 41 रकबा 0.16 हे0, ख0नं0 43 रकबा 0.11 हे0 कुल किता 3 रकबा 1.12 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता की वल्दियत रामनारायण अंकित है, जबकि ग्राम कोटडापुरा के ही खाता नं0 33 में वादी की वल्दियत रामनाथ दर्ज है। वादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य में भी वादी की वल्दियत रामनाथ ही अंकित है तथा ग्राम पंचायत लाखसनीजा द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी वादी की सही वल्दियत रामनाथ होने का उल्लेख किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात्, शपथ पत्र, ग्राम पंचायत लाखसनीजा द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार वादी की वास्तविक वल्दियत रामनाथ होना प्रकट होता है। इस प्रकार प्रकरण में यह तय है कि वादी की वास्तविक वल्दियत रामनाथ है। जिससे वादी के पिता का नाम विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्तनीय है।

परिणामतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कोटडापुरा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 39 रकबा 0.85 हे0, ख0नं0 41 रकबा 0.16 हे0, ख0नं0 43 रकबा 0.11 हे0 कुल किता 3 रकबा 1.12 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी की वल्दियत रामनारायण के स्थान पर रामनाथ उर्फ रामनारायण दर्ज की जावें, शेष यथावत् रहेगा। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनॉक 28/02/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जबर सिंह)
सहायक कलक्टर
दीगोद

Scanned by CamScanner

अंतिम डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

उनवान

चतुर्भुज आत्मज रामनाथ जाति मीना निवासी कोटडापुरा तहसील दीगोद जिला कोटा

–वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा राज0

–प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आर0टी0एक्ट

मिसल नम्बर–57 / 19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ जबर सिंह आर.ए.एस. बहाजिरी श्री प्रमोद चौधरी एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि "वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कोटडापुरा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 39 रकबा 0.85 हे0, ख0नं0 41 रकबा 0.16 हे0, ख0नं0 43 रकबा 0.11 हे0 कुल किता 3 रकबा 1.12 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी की वल्दियत रामनारायण के स्थान पर रामनाथ उर्फ रामनारायण दर्ज की जावें, शेष यथावत् रहेगा।" तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 28 / 02 / 2020 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(जबर सिंह)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक दीगोद (कोटा)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद (कोटा)

उनवान संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
57 / 19	16.07.2019	28 .02.2020

पीठासीन अधिकारी – जबर सिंह (R.A.S.)

उनवान

चतुर्भुज आत्मज रामनाथ जाति मीना निवासी कोटडापुरा तहसील दीगोद जिला कोटा

–वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा राज0

–प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आर0टी0एक्ट

उपस्थित– श्री प्रमोद चौधरी एडवोकेट वादी की ओर से

निर्णय

वादी ने वाद विरूद्ध प्रतिवादी अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट, इस कथन के साथ पेश किया कि वादी व अन्य सहखातेदारान के खातें व कब्जें काश्त की ग्राम कोटडापुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में ख0नं0 39 रकबा 0.85 हे0, ख0नं0 41 रकबा 0.16 हे0, ख0नं0 43 रकबा 0.11 हे0 कुल किता 3 रकबा 1.12 हे0 भूमि स्थित चली आ रही है। उपरोक्त भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम रामनारायण दर्ज है, जो गलत है। जबकि वादी के पिता का सही नाम रामनाथ है। उक्त भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा दर्ज है। वादी की अन्य जमाबंदी में व वादी के आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि दस्तावेजों में वादी के पिता का नाम रामनाथ अंकित है। इस कारण राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम रामनारायण के स्थान पर रामनाथ अंकित किया जाना आवश्यक है। वाद कारण दिनांक 26.06.2019 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी ने उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम दुरूस्त करनें से इन्कार कर दिया।

वाद पेश कर वादी ने निवेदन किया है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावें कि– ग्राम कोटडापुरा तहसील दीगोद जिला कोटा स्थित ख0नं0 39 रकबा 0.85 हे0, ख0नं0 41 रकबा 0.16 हे0, ख0नं0 43 रकबा 0.11 हे0 कुल किता 3 रकबा 1.12 हे0 भूमि में वादी के पिता का नाम रामनारायण के स्थान पर रामनाथ दर्ज किये जानें हेतु व राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किये जानें की आज्ञा व डिक्री पारित की जावें। प्रतिवादी को आदेशित दिया जावें कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावें। वाद व्यय व अन्य सहायता हो वह भी वादी को प्रदान की जावें।

दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेजात् प्रस्तुत किये–

1. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम कोटडापुरा सं0 2073–76 खाता नं0 3
2. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम कोटडापुरा सं0 2073–76 खाता नं0 33

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
दीगोद (कोटा)

Scanned by CamScanner